प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 27.09.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली सदर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा, छेड़खानी एवं पाक्सो एक्ट में वांछित/ फरार अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार; अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर के नेतृत्व में, थाना कोतवाली सदर के मु0अ0सं0 790/2025 धारा 75(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित एवं गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान अली पुत्र मोहर्रम अली निवासी ग्राम सहरूआ थाना को0 सदर जनपद खीरी, जो जिला अस्पताल ओएल ले जाते समय फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 689/25 धारा 262 BNS पंजीकृत था,को आज रात्रि में थाना कोतवाली सदर पुलिस एवं सर्विलांस/स्वाट टीम द्वारा सेवढा से लखपेडा गंज को जाने वाले खडन्जा मार्ग पर बनी छोटी मजार के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुये हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 0794/2025 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रिजवान अली पुत्र मोहर्रम अली निवासी ग्राम सहरूआ थाना को0 सदर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर चालू हालत
एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 790/25 धारा 75(2)/351(2) BNS व 7 / 8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

2.मु0अ0सं0 689/25 धारा 262 BNS थाना खीरी जिला खीरी

3.मु0अ0सं0 0794/2025 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
1.प्र0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
2.उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
3.उ0नि0 जयप्रकाश यादव स्वाट टीम प्रभारी जनपद खीरी
4.हे0का0 मो0 वकील थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
5.का0 अमरजीत थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
6.का0 शशिकान्त थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
7.का0 सतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
8.का0 मनीष कुमार वर्मा थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
9.हे0का0 सत्यप्रकाश सिंह स्वाट टीम जनपद खीरी
10.का0 विकास चौहान स्वाट टीम जनपद खीरी
11.का0 सिकन्दर स्वाट टीम जनपद खीरी
12.का0 श्रीओम मिश्रा स्वाट टीम जनपद खीरी
13.का0 गोल्डन स्वाट टीम जनपद खीरी
14.हे0का0 संजय कुमार सर्विलांस सेल जनपद खीरी
15.क0आँ0 शरद शुक्ला सर्विलांस सेल जनपद खीरी
16.का0 महताब आलम सर्विलांस सेल जनपद खीरी

<u>जिलाधिकारी महोदया खीरी व पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी की अध्यक्षता में ‘थाना समाधान दिवस’ का आयोजन; महोदय द्वारा थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए आदेश</u>

आज दिनांक 27.09.2025 को जिलाधिकारी महोदया खीरी, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल व पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना फूलबेहड़ पर आयोजित “थाना समाधान दिवस” पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस कर्मियो को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

संगोष्ठी कक्ष रिजर्व पुलिस लाइन खीरी मे SJPU / AHTU जनपद खीरी की मासिक समन्वय बैठक की गई

आज दिनांक 27.09.2025 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), श्री पवन गौतम की अध्यक्षता में SJPU व A.H.T.U की मासिक समीक्षा एव समन्वय गोष्ठी आहूत की गयी। जिसमें स्वास्थ्य विभाग से उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए०डी०द्विवेदी , सी डब्ल्यूसी के अध्यक्ष एसपी सिंह, श्रमविभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा, शिक्षा विभाग से श्री देवेशराय, संरक्षण अधिकारी अनुज चतुर्वेदी, चाइल्ड लाइन खीरी से अंजुमन परवीन , वन स्टाफ सेंटर से विजेता गुप्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई से काउंसलर कय्यूम जरवानी, एम ट्रस्ट से प्रियंका वर्मा, जोगिंदर सिंह, पिंकी ,बचपन बचाओ आंदोलन से राजबहादुर , मानव सेवा संस्थान से प्रभारी अवधेश कुमार तिकुनिया व बाल कल्याण अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत् का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। तथा दिव्यांगजन के संबंध मे जारी (SOP) का अनुसरण करते हुए उसे पढ़कर सभी को सुनाया गया और उपस्थित अधिकारीगण द्वारा थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई |

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में आज दिनांक- 27.09.2025 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, मु0अ0स0 331/2025 धारा 2(ख)(i)/3 उ0प्र0 गैंग0 एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों 1.सलमान उर्फ डब्लू पुत्र मूर्तिजा उल्ला उर्फ डगमग निवासी ग्राम रसूलपुर थाना गोला जनपद खीरी 2.हारून उर्फ राजू उर्फ मामू पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सलमान उर्फ डब्लू पुत्र मूर्तिजा उल्ला उर्फ डगमग निवासी ग्राम रसूलपुर थाना गोला जनपद खीरी
2.हारून उर्फ राजू उर्फ मामू पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना गोला जनपद खीरी

अभि0 सलमान उर्फ ड्ब्लू का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 489/2019 धारा 323/498ए/506 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना गोला जनपद खीरी
2.मु0अ0सं0 200/2022 धारा 60 आब0 अधि0 थाना गोला जनपद खीरी
3.मु0अ0स0 707/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना पलिया जनपद खीरी
4.मु0अ0सं0 27/2022 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 थाना हैदराबाद खीरी
5.मु0अ0सं0 18/2023 धारा 8/20 एनड़ीपीएस एक्ट थाना गोला जनपद खीरी।
6.मु0अ0सं0 617/2023 धारा 8/20 एनड़ीपीएस एक्ट थाना गोला जनपद खीरी
7.मु0अ0सं0 279/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गोला खीरी
8.मु0अ0सं0 679/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गोला जनपद खीरी।
9.मु0अ0सं0 325/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
10.मु0अ0सं0 333/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
11.मु0अ0सं0 348/2024 धारा 3/25 आ0 एक्ट थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
12.मु0अ0सं0 331/2025 धारा 2(ख)(i)/3 उ0प्र0 गैंग0 एक्ट थाना हैदराबाद जिला खीरी

अभि0 हारुन उर्फ राजू उर्फ मामू का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 679/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गोला जनपद खीरी।
2.मु0अ0सं0 325/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
3.मु0अ0सं0 333/2024 धारा 303(2) बीएनएस 3/25 आ0 अधि0 थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
4.मु0अ0सं0 331/2025 धारा 2(ख)(i)/3 उ0प्र0 गैंग0 एक्ट थाना हैदराबाद जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 हेमन्त कटियार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
2.का0 रवि कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
3.का0 संजीव कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी
4.का0 अंकुश कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी

थाना गोला पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोला के नेतृत्व में आज दिनांक- 27.09.2025 को थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 547/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त आशीष पुत्र मिथलेश नि0 ग्रा0 रामपुर निजामपुर थाना खैराबाद जिला सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशीष पुत्र मिथलेश नि0 ग्रा0 रामपुर निजामपुर थाना खैराबाद जिला सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

म0उ0नि0 अपूर्वा शर्मा
उ0नि0 युवराज बाल्यान
का0 अनुज यादव

थाना गोला पुलिस द्वारा, मोबाइल चोरी के 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोला के नेतृत्व में आज दिनांक-27.09.2025 को थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 573/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त मुन्ना उर्फ अली मोहम्मद पुत्र आमीन निवासी जलालपुर थाना गोला जिला खीरी को चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुन्ना उर्फ अली मोहम्मद पुत्र आमीन निवासी जलालपुर थाना गोला जिला खीरी

बरामदगी का विवरण-

02 अदद मोबाइल फोन (01 अदद VIVO , 01 अदद IQ00)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 ज्ञान प्रकाश मिश्रा
2. हे0का0 जितेन्द्र
3. का0 शिवचन्द

थाना फरधान पुलिस द्वारा, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना फरधान के नेतृत्व में आज दिनांक- 27.09.2025 को थाना फरधान पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 369/2025 धारा 69 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सुरजीत कुमार पुत्र सिपाही उर्फ रामसेवक निवासी ग्राम नैनेपारा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुरजीत कुमार पुत्र सिपाही उर्फ रामसेवक निवासी ग्राम नैनेपारा थाना फरधान जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

02 अदद मोबाइल फोन (01 अदद VIVO , 01 अदद IQ00)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 मुकेश राणा
2.हे0का0 अशोक कुमार

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगो में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मैलानी के नेतृत्व में आज दिनांक- 27.09.2025 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 312/2025 धारा 352/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त तुलसी पुत्र चेतराम निवासी मो0 दामोदरपुर वार्ड 06 कस्बा व थाना मैलानी जनपद खीरी तथा मु0अ0सं0 386/2025 धारा 179 बीएनएस में वांछित अभियुक्त शोभित पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार निवासी ग्राम तिलकपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.तुलसी पुत्र चेतराम निवासी मो0 दामोदरपुर वार्ड 06 कस्बा व थाना मैलानी जनपद खीरी (संबंधित मु0अ0सं0 312/2025 धारा 352/109(1) बीएनएस)

2.शोभित पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार निवासी ग्राम तिलकपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी (संबंधित मु0अ0सं0 386/2025 धारा 179 बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 योगेन्द्र सिंह
2.उ0नि0 हिमांशु
3.का0 अनुराग सिंह
4.का0 दिनेश कुमार
5.का0 चकितट
6.का0 विशाल चौधरी
7.का0 राजीव सागर
8.का0 अरूण कुमार

साइबर क्राइम थाना द्वारा, लोगों के बैंक एकाउंट खुलवाकर उनसे सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, लेकर साइबर फ्राड करने वाले गिरोह के तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बैंक पासबुक, चैकबुक, मोबाइल फोन, सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, नकदी आदि बरामद किये गये

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना के नेतृत्व में दिनांक- 26.09.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 44/2025 धारा 318(2)/317(2) बी.एन.एस. व 66(डी) आई.टी. एक्ट में, लोगों के बैंक एकाउंट खुलवाकर उनसे सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, लेकर साइबर फ्राड करने वाले गिरोह के तीन नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बैंक पासबुक, चैकबुक, मोबाइल फोन, सिमकार्ड, एटीएम कार्ड, नकदी आदि बरामद किये गये ।

अपराध करने का तरीका-

साइबर अपराधियो द्वारा आमलोगो को पैसे आदि का लालच देकर उनका बैंक खाता विभिन्न बैंक खातों में खुलवाया जाता है तथा इन बैंक खातों में क्रेडिट धनराशि का कुछ भाग भी खाताधारक को दिया जाता है खाता खुलवाने के बाद इन बैंक खातो की संपूर्ण किट अपने पास ले लिया जाता है उसके बाद इन खातो में साइबर अपराधियों द्वारा अपने साथी साइबर अपराधियों के साथ मिलकर साइबर ठगी करते हुए साइबर फ्राड की धनराशि को उक्त बैंक खातों में मंगवाया जाता है फिर इन पैसो को विभिन्न बैंक खातो में ट्रान्सफर करते हुए कैश निकाल लिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अली खान पुत्र रियासत खान नि0 पेरु वाली गली नियर हनुमान मंदिर तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ।

2.असगर अली पुत्र अख्तर अब्बास नि0 ग्राम कुरसण्डा पो0 देहलिया रामपुर थाना पिहानी जनपद हरदोई हाल पता मो0 फाजिल नगर दरगाह हजरत अब्बास थाना सहादत गंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ।

3.इमरान पुत्र शकील अहमद नि0 15ए छोटीलाल कुर्ती एस पी पब्लिक स्कूल के पास सदर कैण्ट लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

अलीखान

1.मु0अ0सं0 280/2025 धारा 111(6),318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना बिलौर पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर ।
2.मु0अ0सं0 44/2025 धारा 318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 66डी आई.टी. एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद लखीमपुर खीरी

इमरान
1.मु0अ0सं0 280/2025 धारा 111(6),318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना बिलौर पश्चिमी कमिश्नरेट कानपुर नगर ।
2.मु0अ0सं0 44/2025 धारा 318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 66डी आई.टी. एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद लखीमपुर खीरी

असगर रिजवी
1.मु0अ0सं0 44/2025 धारा 318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 66डी आई.टी. एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद लखीमपुर खीरी

नोटः- अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध, कई अन्य प्रांतों से साइबर फ्राड की शिकायत है। अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों के बारे में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 बैंक पासबुक,
02 अदद ए.टी.एम.
02 बैंक चेकबुक,
02 सिम कार्ड,
01 मोबाइल फोन
2000/- रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 जुबैर अहमद,(साइबर क्राइम थाना)
2.उ0नि0 तनवीर अहमद, (साइबर क्राइम थाना)
3.हे0का0 अनुराग मिश्रा, (साइबर क्राइम थाना)
4.का0 परीक्षित चौरसिया, (साइबर क्राइम थाना)
5.ए0एस0आई0 शरद शुक्ला (सर्विलांस सेल)
6.का0 मेहताब आलम (सर्विलांस सेल)

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 120 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>120 लीटर अवैध कच्ची शराब</u>** बरामद कर **<u>11 नफर</u>** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>11 अभियोग</u>** पंजीकृत किये गये।